पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–02/2018 ९९ /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**जय प्रकाश मंडल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**नगर कार्यपालक पदाधिकारी,**
नगर पंचायत, बारसोई।

पटना, दिनांक– 25/01/18

**विषयः– नगर पंचायत, बारसोई में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु ₹169.56000 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹84.78 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. नवगठित नगर पंचायत, बारसोई के कार्यपालक पदाधिकारी, के पत्रांक– 42, दिनांक– 13.12.2017 द्वारा प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि का विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 98 दिनांक– 25/01/18 के आलोक में नवगठित नगर पंचायत, बारसोई में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पूर्व से नगर पंचायतों हेतु स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल निम्न तालिका के स्तम्भ– 5 के अनुरूप कुल ₹84.78 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | निकाय का नाम | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | तत्काल आवंटित राशि | अवशेष राशि (4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | नगर पंचायत, बारसोई | नगर पंचायत, बारसोई में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन का निर्माण। | 169.56000 | 84.78000 | 84.78000 |

**अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र।**

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा कराया जायेगा।

5. आवंटित ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की **राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। ***राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।** राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. आवंटित ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0101–नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

8. नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजना के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजना का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण– लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, कटिहार तथा अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

24.1.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–02/2018 ९९ /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–25/01/18

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, कटिहार/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–02/2018 98 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**जय प्रकाश मंडल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 25/01/18

**विषयः–** **नगर पंचायत, बारसोई में प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु ₹169.56000 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹84.78 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

**आदेशः–** **स्वीकृत।**

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. नवगठित नगर पंचायत, बारसोई के कार्यपालक पदाधिकारी, के पत्रांक– 42, दिनांक– 13.12.2017 द्वारा प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि का विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में नवगठित नगर पंचायत, बारसोई में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पूर्व से नगर पंचायतों हेतु स्वीकृत मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल निम्न तालिका के स्तम्भ– 5 के अनुरूप कुल ₹84.78 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | निकाय का नाम | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | तत्काल स्वीकृत राशि | अवशेष राशि (4–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | नगर पंचायत, बारसोई | नगर पंचायत, बारसोई में नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन का निर्माण। | 169.56000 | 84.78000 | 84.78000 |

**अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र।**

***इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।***

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा कराया जायेगा।

5. स्वीकृत ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की **राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। ***राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।** राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. स्वीकृत ₹84.78000 लाख (चौरासी लाख अठहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0101–नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930101,** विषय शीर्ष– 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

8. नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण की योजना के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा किया जाएगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजना के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजना का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया/गया हो।

(iv) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण– लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/ना०सु०–03–02/2018 के पृष्ठ सं०–3/टि० पर दिनांक–18.1.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–4/टि० पर दिनांक–19.1.18 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, कटिहार/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई तथा अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

24.1.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब/ना०सु०–03–02/2018 98 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 23/01/18

**प्रतिलिपिः–** प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, कटिहार/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.18

**सरकार के विशेष सचिव।**